अंतिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 52/2021

जीसीएमएस– 2021/223

दायर दिनांक– 02.12.2021

निर्णय दिनांक– 12.08.2022

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादी

1. श्री उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री गोमा पुत्र श्री किशना मृतक जरिये वारिसान :–
   1/1 मांगी पुत्री श्री गोमा
   1/2 छगना पुत्र श्री गोमा
   1/3 आसू पुत्र श्री गोमा
   1/4 लाला पुत्र श्री गोमा
   1/5 भैरू पुत्र श्री गोमा
   1/6 हीरा पुत्र श्री गोमा (मृतक) जरिये वारिसान :–
   1/6/1 गीतादेवी पत्नी श्री हीरा
   1/6/2 रमेश पुत्र श्री हीरा
   1/6/3 गोरधन पुत्र श्री हीरा
   1/6/4 मंजूदेवी पुत्री श्री हीरा
   1/6/5 विक्रम पुत्र श्री हीरा
   1/6/6 मुकुल पुत्र श्री हीरा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, पुष्कर, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– **1.श्री भारत भूषण गुर्जर, अभिवक्ता, वादी।**

2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 1/6 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाता संख्या नया/पुराना	खसरा नंबर	रकबा (हैक्0)	किस्म
140/140	1657	0.3[illegible]	चाही 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उक्त वादीग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 गोमा पुत्र किशना का 2/3 हिस्सा निहित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो कि जमाबंदी संवत् 2073-2076 से स्वयं सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नही है क्योंकि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की हकबन्दी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिंटस एंड बांउडस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 03.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3, 1/5, 1/6/1 लगायत 1/6/6 व दिनांक 29.04.2022 को प्रतिवादी सं0 1/4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29.04.2022 को वादी उगमा पुत्र श्री पांचू द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र बाबत् बयान पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया।

पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/109 दिनांक 06.01.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब दावा में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि " राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1657 रकबा 0.34 हैक्ट0 प्रार्थी उगमा पुत्र पांचू एवं इसके भाईयों के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी का खाता विभाजन किया जाना उचित है।"

चूंकि समस्त प्रतिवादीगण के खिलाफ विभिन्न दिनांकों पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी, इस कारण तनकीयात कायम न करते हुए सीधे ही वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में वर्णित चाहे गये अनुतोष पर विचारण किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 23.05.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/भू.अ./न्याय./2022/2148 दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को अंतिम बहस हेतु दिनांक 12.08.2022 को तलब किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने वादी अभिभाषक व पैरोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने-अपने हक-हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी सहखातेदारी से मौजा गनाहेड़ा की आराजीयात खाता संख्या 149 जो कि वादी व प्रतिवादीगण के सह खातेदारी से दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...गई है का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर सा. बांसेली खातेदार	1657/2	0.1133	चाही1	हरा
	कुल	किता 1	0.1133	–	–
2.	छगना पुत्र गोमा जाति गुर्जर आसू पुत्र गोमा जाति गुर्जर लाला पुत्र गोमा जाति गुर्जर भैरू पुत्र गोमा जाति गुर्जर मांगी पुत्र गोमा जाति गुर्जर गीता देवी पत्नी हीरा जाति गुर्जर रमेश पुत्र हीरा जाति गुर्जर गोरधन पुत्र हीरा जाति गुर्जर मन्जू देवी पुत्री हीरा जाति गुर्जर विक्रम पुत्र हीरा जाति गुर्जर मुकुल पुत्र हीरा जाति गुर्जर	1657/1 1657/3	0.0767 0.1500	चाही1 चाही1	केसरिया
	कुल	किता 2	0.2267	–	–

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 52 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 223

दायर दिनांक– 02.12.2021

निर्णय दिनांक– 12.08.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री गोमा पुत्र श्री किशना मृतक जरिये वारिसान :– 1/1 मांगी पुत्री श्री गोमा 1/2 छगना पुत्र श्री गोमा 1/3 आसू पुत्र श्री गोमा 1/4 लाला पुत्र श्री गोमा 1/5 भैरू पुत्र श्री गोमा 1/6 हीरा पुत्र श्री गोमा (मृतक) जरिये वारिसान :– 1/6/1 गीतादेवी पत्नी श्री हीरा 1/6/2 रमेश पुत्र श्री हीरा 1/6/3 गोरधन पुत्र श्री हीरा 1/6/4 मंजूदेवी पुत्री श्री हीरा 1/6/5 विक्रम पुत्र श्री हीरा 1/6/6 मुकुल पुत्र श्री हीरा समस्त जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, पुष्कर, अजमेर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– **1.श्री भारत भूषण गुर्जर, अभिवक्ता, वादी।**

2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई::–

वादीगण का वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा को संलग्न नक्शा ट्रेस व (कुर्रेजात रिपोर्ट) के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के खाता सं. 140 के खसरा नं. 1657 रकबा [illegible] के लिए विभाजन निम्नानुसार है–

12.8.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर सा. बांसेली खातेदार	1657/2	0.1133	चाही1	हरा
	कुल	किता 1	0.1133	—	—
2.	छगना पुत्र गोमा जाति गुर्जर आसू पुत्र गोमा जाति गुर्जर लाला पुत्र गोमा जाति गुर्जर भैरू पुत्र गोमा जाति गुर्जर मांगी पुत्र गोमा जाति गुर्जर गीता देवी पत्नी हीरा जाति गुर्जर रमेश पुत्र हीरा जाति गुर्जर गोरधन पुत्र हीरा जाति गुर्जर मन्जू देवी पुत्री हीरा जाति गुर्जर विक्रम पुत्र हीरा जाति गुर्जर मुकुल पुत्र हीरा जाति गुर्जर	1657/1 1657/3	0.0767 0.1500	चाही1 चाही1	केसरिया
	कुल	किता 2	0.2267	—	—

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

12.8.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : .../07/2022 12:55:52 PM

जिला : अजमेर

तहसील : पुष्कर

भू. अ. नि. वृत्त : पुष्कर

पटवार मंडल : गनाहेड़ा

ग्राम : गनाहेड़ा

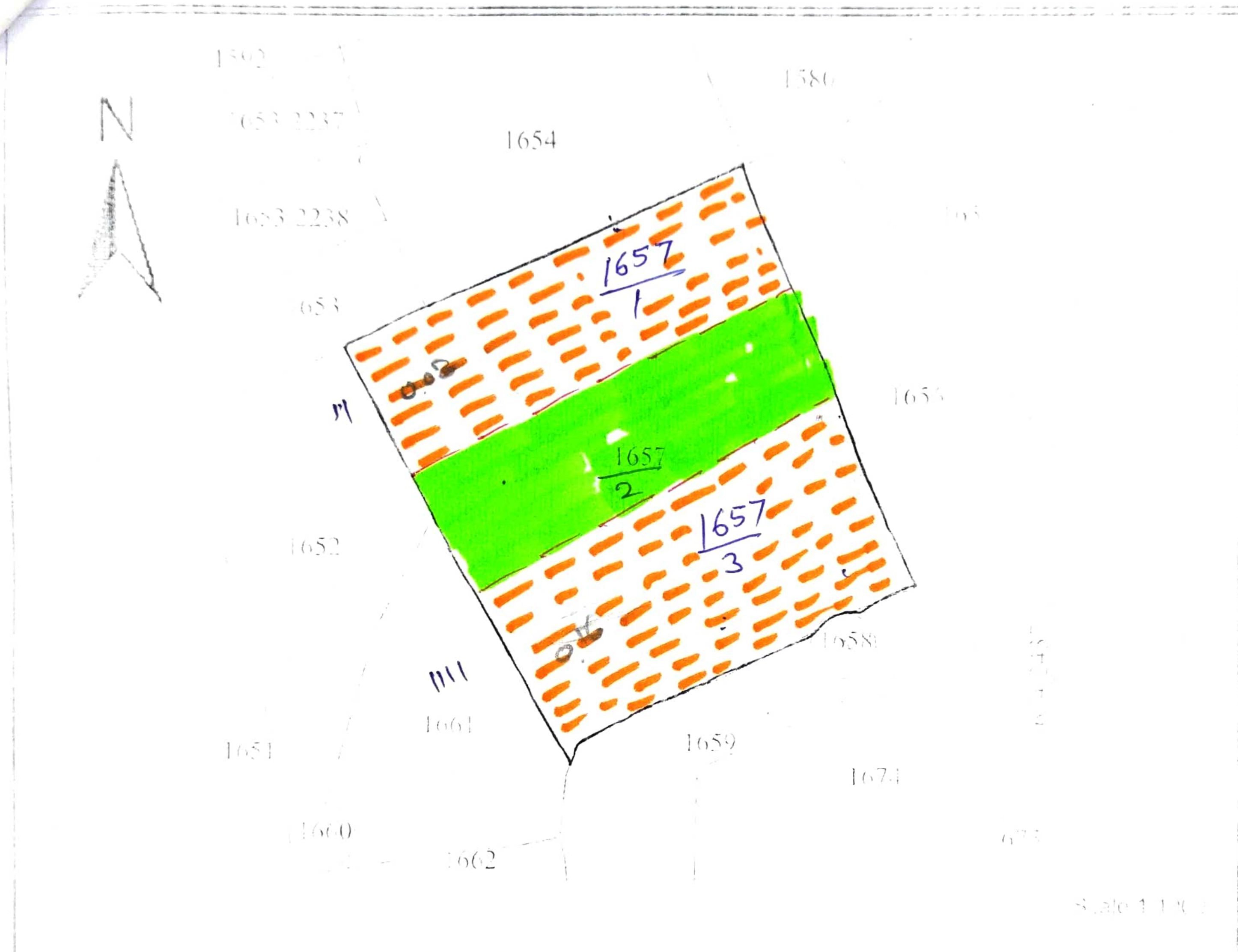

खसरा संख्या : 1657 क्षेत्रफल : 0.3400 Hectare खाता संख्या : 140पुराना खाता संख्या : 140

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 1 [0.3400, 14.28]

हिस्सा 2/... जाति- गुर्जर सा.... खातेदार

हिस्सा 1/... जाति गुर्जर ... खातेदार

तहसीलदार, पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

12.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एंव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	नक्शे में रंग
1	उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर सा. बांसेली खातेदार	1657/2	0.1133	चाही	
		किता 1	0.1133		
2	छगना पुत्र गोमा जाति गुर्जर आजू पुत्र गोमा जाति गुर्जर लाला पुत्र गोमा जाति गुर्जर भैरू पुत्र गोमा जाति गुर्जर भंवरी पुत्री गोमा जाति गुर्जर गीता देवी पत्नि हीरा जाति गुर्जर रमेश पुत्र हीरा जाति गुर्जर गोरधन पुत्र हीरा जाति गुर्जर मन्जू देवी पुत्री हीरा जाति गुर्जर विक्रम पुत्र हीरा जाति गुर्जर मुकुल पुत्र हीरा जाति गुर्जर	1657/1 1657/2	0.0767 0.1500	चाही चाही	
		किता 2	0.2267		

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:47:13 IST
Reason: SelfAttested

13.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)